कार्यालयः जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्र सं0 305/अ0जि0अ0(भू0अ0)/न0म0पा0–1, लखनऊ दि0 27 जुलाई 2019

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 नियम 3 (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संचालित गोमती नगर विस्तार में छूटे हुए नम्बर हेतु ग्राम मलेशेमऊ की खसरा सं0 173 क्षेत्रफल 0.338 हे0 भूमि की आवश्यकता स्थाई रूप से है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही से पूर्व चयनित एजेन्सी द्वारा लोक हित में सामाजिक समाघात आंकलन (Social Impact Assessment) व सामालिक प्रबन्धन योजना तैयार किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1	अपेक्षक निकाय का नाम		लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ		
2	प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य		गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत छूटे हुए नम्बर हेतु ग्राम मलेशेमऊ की खसरा सं0 173 की भूमि का अर्जन		
3	संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा।		एस0आर0 एशिया 4एफ सी एस–25, अन्सल प्लाजा बैशाली गाजियाबाद, 201010		
4	संगठन का सम्पर्क विवरण		एस0आर0 एशिया 4एफ सी एस–25, अन्सल प्लाजा बैशाली गाजियाबाद, 201010 दूरभाष : 0120–4103023, 9810059109 ई–मेल– srasia.india@gmail.com		
5	प्रस्तावित भूमि का विवरण				
	जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)
1	लखनऊ	लखनऊ	मलेशेमऊ	173	0.338
योग					0.338

1: प्रस्तावित भूमि, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संचालित अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के मध्य स्थित है, जिसके अर्जन होने से योजना का सुनियोजित विकास आसान होगा।

2: अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना हेतु प्रस्तावित भूमि पूर्व से अर्जित है। तत्समय प्रस्तावित भूमि अवशेष रह गई थी।

3: प्रस्तावित भूमि का अर्जन परियोजना के सुनियाजित विकास हेतु किया जाना है, जिसके लिए गांव सभा/अथवा भू–स्वामी की सहमति की आवश्यकता नही है।

4: सामाजिक समाघात का निर्धारण, चयनित एजेन्सी द्वारा अधिकतम 60 दिनों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

टिप्पणी : उक्त योजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण कलेक्टर, लखनऊ/ अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन), नगर महापालिका– प्रथम, 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में देखा जा सकता है।

(कौशलराज शर्मा),
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

संख्या – 47(1)/एक–13–2018, तद्‌दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, अनुभाग–13, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
(3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
(5) निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0आर0 एशिया 4एफ सी एस–25, अन्सल प्लाजा बैशाली गाजियाबाद, 201010 को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।